संख्या: 1349 / 33–3–2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग –3 **लखनऊ दिनांक: 29 जून 2022**

विषय: प्रदेश की ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायतों के रूप में विकसित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप त्रि–स्तरीय पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्थापित किया गया है। त्रि–स्तरीय पंचायतों में ग्राम पंचायत सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण इकाई के रूप में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहीं है।

ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास के विभिन्न घटकों यथा संरचनात्मक विकास, पेयजल, स्वच्छता, जल संरक्षण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ पर विभिन्न कार्य करते हुए प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी प्राप्त किए गए है। वर्तमान परिदृश्य में आवश्यकता है कि ग्राम पंचायतों द्वारा पृथक–पृथक किए गए कार्यो को एकीकृत रूप से लागू कर ग्राम पंचायतों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। मॉडल ग्राम पंचायत से आशय ऐसी पंचायतें जो सहभागी नियोजन, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं परिसम्पत्तियों के संचालन / रखरखाव के साथ विकास के स्थायित्व को बनाए रखे एवं इस प्रकार से सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना योगदान दें।

2– उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मॉडल ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्धारित 09 थीम को लक्षित कर कार्य किया जाएगा, जिससे कि संरचनात्मक ढाँचे के विकास के साथ सामाजिक–आर्थिक एवं मानव विकास से सम्बन्धित मानकों पर भी ग्राम पंचायत समान विकास कर सके। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्देशों के अनुसार पंचायतों के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्धारित 09 थीम / क्षेत्र पर आधारित गतिविधियों के संचालन एवं उसमें विभिन्न विभागों के समन्वयन सम्बंधी दिशा–निर्देश शासनादेश सं0: 1033 / 33–3–2022–345 / 2016 टी.सी.। दिनांक: 27 मई, 2022 (**संलग्नक–1**) से निर्गत किए जा चुके है एवं उक्त रूप से विभिन्न थीम / क्षेत्र में किए जाने वाले सूचको के अनुसार मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में स्वयं को आंकने के लिए भी स्व–मूल्यांकन के सामान्य सूचकों की सूची **संलग्नक–2** पर उपलब्ध है। स्वमूल्यांकन कर ग्राम पंचायतें प्रत्येक थीम में शतप्रतिशत अंकों की प्राप्ति हेतु कार्य करेंगी तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार की प्राप्ति के लिए वांछित अर्हता प्राप्त कर न सिर्फ सम्मानित होंगी अपितु अन्य ग्राम पंचायतों के लिए भी बीकन पंचायतों का उद्धरण प्रस्तुत करेंगी। ग्राम पंचायतों

Amit Sri.

को मॉडल के रूप में विकसित करने में योगदान देने वाले कर्मियों एवं अधिकारियों को भी सम्मानित किए जाने का कार्य राज्य स्तर से किया जाएगा।

3– इस प्रयोजनार्थ यह भी अवगत कराना है कि प्रदेश के 12 जनपद की 67 ग्राम पंचायतों को वित्त आयोग अन्तर्गत परफार्मेंस ग्रान्ट की रू0 625.00 करोड़ की धनराशि आंवटित की गई है, जिससे सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में डी.पी.आर. तैयार कर संरचनात्मक ढाचें का विकास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्राम पंचायतों द्वारा भी स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) एवं वित्त आयोग आंवटित धनराशि से उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे है। उक्त ग्राम पंचायतों द्वारा संलग्न मॉडल ग्राम पंचायतों के मानकों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को भी संचालित करते हुए मॉडल ग्राम पंचायतों के रूप स्वयं को स्थापित किया जा सकता है। इस हेतु प्रथम चरण में प्रदेश की 150 ग्राम पंचायतों **(सूची संलग्नक–3)** को मॉडल के रूप में विकसित किये जाने हेतु चयनित किया गया है।

उक्त रूप से चयनित ग्राम पंचायतों में सर्वप्रथम ग्राम सभा का आयोजन का सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर जानकारी दी जाएगी एवं प्राप्त निधियों से आगामी 06 माह की कार्ययोजना बनाकर निम्नांकित 09 थीम/सेक्टर में कार्य कर किया जाएगा–

(1) सुशासित गॉव (Village with Good Governance)
(2) साफ एवं हरा गॉव (Clean & Green Village)
(3) गरीबी मुक्त एवं बेहतर आजीविका वाला गॉव (Poverty Free & Enhanced Livelihoods Villages)
(4) बाल मैत्री गॉव (Child Friendly Village)
(5) विकास में लैंगिक समानता वाला गॉव (Engendering Development for Gender Equality in Village)
(6) पर्याप्त जल वाला गॉव (Water Sufficient Village)
(7) स्वस्थ ग्राम (Healthy Village)
(8) सामाजिक रूप से सुरक्षित गॉव (Socially Secured Village)
(9) गॉव में संरचनात्मक ढाचें की यथेष्ट उपलब्धता (Self Sufficient infrastructure in Village)

4– उक्त थीम/क्षेत्र हेतु कार्यो के सम्पादन में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा निम्नांकित मदों में प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग कर कार्य किया जाएगा एवं गतिविधियों को वार्षिक कार्ययोजना/जी.पी.डी.पी. का भाग बनाया जाएगाः–

(1) परफार्मेंस ग्रांट की धनराशि (सूची में अंकित 67 ग्राम पंचायतों में)।

Amit Srl.

(2) स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन हेतु प्राप्त धनराशि।

(3) वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि।

(4) महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी एक्ट (मनरेगा) में अनुमोदित विभिन्न कार्यो के सापेक्ष धनराशि।

(5) स्वास्थ्य विभाग द्वारा वी.एच.एस.एन.सी. को स्वच्छता कार्य हेतु दी जाने वाली अनटाइड ग्रांट।

समयावधि– विभिन्न विभाग यथा– स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास, कृषि, आजीविका, राजस्व, खाद्य व रसद एवं मनरेगा आदि के ग्राम स्तरीय कर्मी ग्राम सभा में उपस्थित रहकर विभागीय योजनाओं की जानकारी देंगे एवं थीमवार लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चयनित ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने हेतु हैंड होल्डिंग सहयोग दिया जाएगा एवं 06 माह की निर्धारित समय–सीमा को ध्यान में रखते हुए समस्त मानकों में कार्य पूर्ण किया जाएगा।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन– शासनादेश सं0 2618/33–3–2015–10जी.आई/2015, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 में ग्राम पंचायत विकास योजना के कियान्वयन हेतु जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **"जनपद स्तरीय कियान्वयन एवं समन्वयन समिति"** ही पंचायतों में 'सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण' के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी समिति होगी एवं समिति द्वारा विभागीय समन्वयन एवं कन्वर्जेंस के द्वारा थीमवार लक्ष्यों पर आधारित जी.पी.डी.पी. के विकास में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा तथा प्रत्येक थीम में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को मॉडल के रूप विकसित माना जाएगा। इस हेतु विभिन्न विभागों के कर्मियों का थीमवार दायित्व निर्धारित किया जाए और उसको कर्मियों/अधिकारियों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टी का भाग बनाया जाए। मॉडल ग्राम पंचायत की प्रगति समीक्षा जनपद एवं मंडलीय समीक्षा बैठक में की जाएगी तथा पाक्षिक प्रगति को पंचायती राज विभाग की http://prdfinance.up.gov.in की वेबसाइट पर घटकवार फोटो के साथ अपलोड किया जाएगा। इस कार्य हेतु जनपदवार विभागवार रिपोर्टिंग फार्मेट एवं लॉगिन आई.डी. पासवर्ड जनपद को पृथक से निर्गत किए जाएगें।

5– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्धारित समयावधि में प्रदेश की 150 ग्राम पंचायतों को मॉडल के रूप में विकसित किए जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाए, जिससे कि उनसे प्रेरणा लेकर प्रदेश की अन्य ग्राम पंचायतें भी मॉडल के रूप में विकसित हों।

<u>संलग्नक: यथोक्त।</u>

भवदीय,
Manoj 29.6.22
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Amit Srl.

संख्या एवं दिनांक—यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव—सूचना प्रोद्यौगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, राजस्व, ग्राम्य विकास, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, गृह एवं गोपन, उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन विभाग को सतत् विकास लक्ष्यों की ही भांति 09 थीम पर आधारित सूचकों के अनुश्रवण हेतु विभागीय समन्वयन प्रदान करने हेतु।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन को उक्त 09 थीम पर प्रगति को जनपद/मंडलीय समीक्षा बैठक का भाग बनाए जाने हेतु।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
6. समस्त मंडलीय उपनिदेशक, पं0, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी—पं., उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

२९.६.२२

आज्ञा से,

29.6.22

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Amit Srl.

संलग्नक - 01

संख्या-1033/33-3-2022-345/2016 टी०सी०-1

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, पंचायती राज विभाग/ नियोजन विभाग/ वित्त विभाग/ राजस्व विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग/ बेसिक शिक्षा विभाग/ समाज कल्याण विभाग/ महिला एवं बाल कल्याण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग/ कृषि विभाग/ दिव्यांग कल्याण विभाग/दुग्ध विकास/ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन/ सामाजिक वानिकी/ पर्यावरण विभाग/ लघु सिचाई विभाग/ लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग/भूमि विकास/ खेल एवं युवा कल्याण/ इलेक्ट्रानिक्स एवं आई.टी. विभाग/ गृह विभाग एवं अन्य।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 27 मई, 2022

विषयः- Localization of SDGs (सतत् विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण) के क्रियान्वयन हेतु समस्त विभागों के स्तर से आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों ने सितंबर 2015 में 17 सतत् विकास लक्ष्यों और इनके 169 उद्देश्यों को अंगीकार किया है जिसमें भारत भी सम्मलित है। सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्थानीय सरकारों की अहम भूमिका है।

2- भारतीय संविधान में उल्लिखित पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से जुड़े कार्यों का नियोजन और उनके क्रियान्वयन में प्रभावीशाली भूमिका निभाना पंचायतों की जिम्मेदारी है। सतत् विकास लक्ष्यों के कई उद्देश्य इन्हीं विषयों के दायरे में आते है। प्रदेश में ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें एवं जिला पंचायतें अपनी कार्ययोजना तैयार कर रही हैं, जिससे उन्हें अपनी योजनाओं को सतत् विकास लक्ष्यों के साथ समाहित करने का मौका मिला है। विभिन्न राज्य और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त होने वाले संसाधनों को पंचायत स्तर पर जुटाया जा सकता है और उनका लाभ उठाया जा सकता है।

3- पंचायती राज मंत्रालय ने निम्नलिखित 09 विषयों के माध्यम से एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये एक विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है:-

विषय	विषय (Theme) 01- गरीबी मुक्त गॉंव
संबंधित विभाग	कृषि, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, पशुधन और डेयरी, महिला एवं बाल कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता, पेयजल एवं स्वच्छता, खाद्य एवं रसद तथा पंचायती राज विभाग।
स्थानीय लक्ष्य	• संबंधित विभागों द्वारा आजीविका और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत सभी पात्र लाभार्थियों का व्यापक चयन। • व्यक्तिगत/सामूहिक उद्यमों के माध्यम से आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन। • गरीब और कमज़ोर परिवारों को पूरे वर्ष रियायती मूल्य पर पर्याप्त भोजन की उपलब्धता। • किसानों की आय में वृद्धि। • बुनियादी सेवाओं (आवास, पानी और स्वच्छता) तक पहुॅंच सुनिश्चित करना। • मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी आधारित रोज़गार की उपलब्धता, आदि।

विषय	विषय (Theme) 02– स्वस्थ गॉव
संबंधित विभाग	महिला एवं बाल कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता, पंचायती राज, आयुष तथा युवा कल्याण विभाग।
स्थानीय लक्ष्य	• Stunted Growth की समस्या का समाधान। • किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया की समस्या में कमी। • कम लागत, अत्यधिक पौष्टिक और स्थानीय रूप से प्राप्त अनाज, सब्जियॉ, फल आदि के सेवन को बढ़ावा देना। • संचारी रोगों के रोकथाम और उसके उपचार हेतु उपाय। • मातृ मृत्य और बाल मृत्यु दर में कमी। • सभी के लिये चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान कराना, आदि।
विषय	विषय (Theme) 03– बाल मैत्री गॉव
संबंधित विभाग	महिला एवं बाल कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज तथा युवा कल्याण विभाग।
स्थानीय लक्ष्य	• बच्चों हेतु बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता तथा स्कूल में शत्–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना। • बाल श्रम, बाल विवाह तथा बाल तस्करी मामलों को शून्य करना। • बच्चों हेतु सभी प्रकार की हिंसा से सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना। • दिव्यांग बच्चों के लिये शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना। • अभिभावक शिक्षक संघ/विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, आदि।
विषय	विषय (Theme) 04– पर्याप्त जल युक्त गॉव
संबंधित विभाग	कृषि, ग्राम्य विकास, महिला एवं बाल कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, राजस्व तथा पंचायती राज विभाग।
स्थानीय लक्ष्य	• सभी को पर्याप्त साफ और पीने योग्य पानी की उपलब्धता। • समुदाय की गॉव में स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना। • व्यक्तिगत शौचालय का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करना। • घरों से निकले गन्दे पानी के उपचार और शुद्धिकरण का तंत्र (किचन गार्डन, सोखा गड्ढा, लीच पिट आदि) विकसित करना। • भूजल पुनर्भरण, आर्सेनिक संदूषण और वर्षा जल संचयन की आवश्यकता पर समुदाय को संवेदित करना। • सभी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करना, आदि।
विषय	विषय (Theme) 05– स्वच्छ और हरित गॉव
संबंधित विभाग	कृषि, ग्राम्य विकास, पशुधन और डेयरी, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यावरण एवं वन, राजस्व, मत्स्य पालन तथा पंचायती राज विभाग।
स्थानीय लक्ष्य	• सोलर ऊर्जा के उपयोग को बढावा देना। • 100% खुले में शौच मुक्त पंचायत। • पौधरोपण एवं नर्सरी बेड तैयार कर हरियाली सुनिश्चित करना। • ईधन की लकड़ी का प्रयोग कम कराना। • प्रकाश, घरेलू उपकरणों, खाना पकाने, सिंचाई के लिए सभी तक ऊर्जा के उपयोग तक पहुंच सुनिश्चित करना।

	• जैव–विविधता और परिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करना, आदि।
विषय	**विषय (Theme) 08– आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ांचे वाला गाँव**
संबंधित विभाग	पेयजल एवं स्वच्छता, ग्राम्य विकास, इलेक्ट्रानिक्स एवं आई.टी. विभाग, दूरसंचार तथा पंचायती राज विभाग।
स्थानीय लक्ष्य	• सड़क प्रकाश, पाइप पेयजल व्यवस्था, व्यक्तिगत शौचालय, ग्रामीण आवास, बस स्टैंड, पुलिया/पुल निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिवालय तथा खेल के मैदानों की स्थापना। • पेयजल–शौचालय–स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएससी) हेतु गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना की उपलब्धता। • सभी मौसमों में सड़कें/सम्पर्क मार्ग, सोलर स्ट्रीट लाइट, सभी के लिये पक्के घरों की उपलब्धता। • समुदाय स्तर पर सौर उर्जा के उपयोग को बढावा देना। • ढ़की नालियों द्वारा जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना, आदि।
विषय	**विषय (Theme) 07– सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव**
संबंधित विभाग	गृह, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, महिला एवं बाल कल्याण, स्कूली शिक्षा और साक्षरता, कौशल विकास और उद्यमिता तथा पंचायती राज विभाग।
स्थानीय लक्ष्य	• गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के जीवन में सुधार लाने हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना। • एकीकृत वाल विकास योजना (आईसीडीएस) अन्तर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं का शत्–प्रतिशत् नामांकन सुनिश्चित करना। • लाभकारी रोज़गार प्रदान करना, उपर्युक्त बुनियादी ढांचा तथा असमानता और सभी प्रकार के भेदभाव में कमी लाना, आदि।
विषय	**विषय (Theme) 08– सुशासन वाला गाँव**
संबंधित विभाग	पेयजल एवं स्वच्छता, ग्राम्य विकास, इलेक्ट्रानिक्स एवं आई.टी., दूरसंचार तथा पंचायती राज विभाग।
स्थानीय लक्ष्य	**सुशासन के स्तम्भ** • **<u>टीम वर्क</u>** ○ पंचायती राज संस्थाओं एवं स्वयं सहायता समूह के मध्य अभिसरण। ○ गांव में साझेदारी एवं सहयोग स्थापित करना। ○ ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में विभिन्न संस्थाओं/हितधारकों के मध्य समन्वय और अभिसरण, आदि। • **<u>प्रौद्योगिकी</u>** ○ प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बेहतर नागरिक सेवाओं को बढावा देना। ○ जन सेवा केन्द्र स्थापित करके नागरिक घोषणा पत्र अनुसार सेवाओं का आदान प्रदान करना। ○ प्रौद्योगिकी के प्रयोग से बेहतर वित्तीय एवं सम्पत्ति प्रबन्धन, आदि। • **<u>समयबद्धता</u>** ○ ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्धारित समयावधि में निर्माण। ○ ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकों का आयोजन एवं वैधानिक लेखों का अनुरक्षण।

	○ सरकारी विभागों एवं संस्थाओं की विभिन्न गतिविधियों के अनुश्रवण द्वारा विकास को सुनिश्चित करना, आदि। • **पारदर्शिता** ○ दीवार लेखन के माध्यम से सूचनाओं का प्रसार। ○ लाभार्थियों तथा परियोजनाओं का प्रमुख स्थानों पर दिवार लेखन। ○ निधि का उपयोग। (ग्राम सभा में अनुमोदन के द्वारा) आदि। • **परिवर्तन/रूपांतरण** ○ क्षमता संवर्धन ○ समावेशी विकास ○ स्वयं की आय के स्रोत, आदि।
विषय	**विषय (Theme) 09– महिला हितैषी गाँव**
संबंधित विभाग	गृह, महिला एवं बाल कल्याण, पशुधन एवं डेयरी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, ग्राम्य विकास, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता, श्रम और रोज़गार तथा पंचायती राज विभाग।
स्थानीय लक्ष्य	• महिला सभा का आयोजन। • महिलाओं एवं बलिकाओं के विरूद्ध अपराधों पर अंकुश लगाना। • सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित् करना। • सामाजिक–राजनैतिक एवं आर्थिक गतिविधियों एवं समुदाय आधारित संगठन में महिलाओं की प्रतिभागिता को बढ़ाना। • महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। • महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवा की सुविधा। • विद्यालयों में बालिकाओं के कुल नामांकन और प्रतिधारण के लिए वातावरण बनाना, आदि।

4— सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु आवश्यक है कि सभी संबंधित विभाग बेहतर समन्वयन के साथ संयुक्त रूप में अग्रणी भूमिका निभायें। उक्त पर रणनीति बनाने एवं विषयवार प्रगति के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु **शासनादेश: 1824(1)/33–3– 2015–10 जी.आई./2015 दिनांक 26 जून, 2015 द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में <u>वित्त आयोग एवं अन्य मदों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि के नियोजन एवं क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण</u> हेतु पूर्व गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति** को निम्नवत विस्तारित किया जाता है:–

क्र.सं.	**पदनाम**	**विभाग**	**समिति में स्तर**
1.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन	–	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	नियोजन विभाग	उपाध्यक्ष
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	पंचायती राज विभाग	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	वित्त विभाग	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	कृषि विभाग	सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	वन एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
9.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	गृह विभाग	सदस्य
10.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	इलेक्ट्रानिक्स एवं आई.टी. विभाग	सदस्य
11.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	युवा कल्याण विभाग	सदस्य
12.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव	शिक्षा विभाग	सदस्य
13.	महानिदेशक/अपर निदेशक/उपनिदेशक	दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान	सदस्य

14.	प्रमुख सचिव / सचिव	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	सदस्य
15.	प्रमुख सचिव / सचिव	समाज कल्याण विभाग	सदस्य
16.	प्रमुख सचिव / सचिव	पशुपालन विभाग	सदस्य
17.	प्रमुख सचिव / सचिव	खाद्य एवं रसद विभाग	सदस्य
18.	प्रमुख सचिव / सचिव	कौशल विकास और उद्यमिता	सदस्य
19.	प्रमुख सचिव	श्रम और रोज़गार	सदस्य
20.	आयुक्त	ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
21.	निदेशक	पंचायती राज विभाग	सदस्य सचिव
22.	यूनिसेफ, सी3, एच.सी.एल., वाटर ऐड, जी.आई.जेड., वर्ल्ड विज़न, टाटा ट्रस्ट आदि सामाजिक संस्थायें।	–	विशेष आमंत्री

समिति के दायित्व

1. एस.डी.जी. के स्थानीयकरण संबंधी प्रगति की समीक्षा तथा अर्न्तविभागीय समन्वय सुनिश्चित कराना।
2. त्रिस्तरीय पंचायतों के स्तर पर क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का अनुश्रवण।
3. विभागीय रोडमैप को बेहतर बनाने हेतु सुझाव देना तथा समय–समय पर क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु सुझाव देना।

5– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संबंधित विभाग उक्तानुसार सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु रोड़मैप तैयार कर अपनी भूमिका के दृष्टिगत आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर सदस्य सचिव त्रैमासिक उक्त समिति की बैठक कराना सुनिश्चित करेगें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

27.5.22

(मनोज कुमार सिंह)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या-4

पंचायती राज अनुभाग–3 ~~1633/33-1~~-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ अफसर, कृषि अत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
6. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उ.प्र.।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।
8. यूनिसेफ, सी3, एच.सी.एल., वाटर ऐड, जी.आई.जेड., वर्ल्ड विज़न, टाटा ट्रस्ट आदि संस्थाओं को सूचनार्थ।

आज्ञा से

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

संलग्नक-02

"सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण"

मॉडल ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न थीम/विशिष्ट क्षेत्रों पर किए गए कार्यों पर आधारित मानक एवं स्व–मूल्यांकन हेतु निर्धारित अंकों का विवरण।

पूर्णांक–100 अंक

क्र0	सूचकों का विवरण	अधिकतम अंक	अंक प्राप्ति का निर्धारण	अंक से सम्बन्धित दस्तावेज
	थीम–01 गरीबी मुक्त गांव (10 अंक)			
1.	मनरेगा के लेबर बजट के सापेक्ष कितने जाब कार्ड धारकों को रोजगार प्राप्त है?	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 तक 01 अंक एवं 50 से कम पर शून्य अंक	जॉब कार्ड का मस्टर रोल
2.	ग्राम पंचायत की कुल आबादी के सापेक्ष राशन कार्ड की कुल कितनी यूनिट जारी किया गया है?	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 तक 01 अंक एवं 50 से कम पर शून्य अंक.	खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल की सूचना की प्रति
3.	डी.बी.टी. के लिए ग्राम पंचायत में कितने प्रतिशत पात्र कृषक रजिस्टर्ड हैं?	2	पात्र कृषकों के 75 प्रतिशत से अधिक रजिस्टर्ड होने पर 02 अंक एवं 50–75 प्रतिशत तक 01 अंक एवं 50 से कम पर शून्य अंक	सम्बन्धित अभिलेख की छायाप्रति
4.	कितने प्रतिशत कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किया गया है?	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 तक 01 अंक एवं 50 से कम पर शून्य अंक	किसान क्रेडिट कार्ड धारको की प्रमाणित सूची की छायाप्रति
5.	कितने पात्र स्वयं सहायता समूह (SHG) को क्रेडिट लिंकेज प्राप्त है?	2	02 समूह पर 02 अंक 01 समूह पर 01 अंक एवं 50 से कम पर शून्य अंक	बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख की छायाप्रति
	थीम–2 स्वस्थ गांव (10 अंक)			
6.	ग्राम पंचायत में वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में कोविड–19 का टीकाकरण कराया गया है तो कितने प्रतिशत टीकाकरण हुआ है?	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 तक 01 अंक एवं 50 से कम पर शून्य अंक	टीकाकरण कराने वाले लाभार्थियों की सक्षम स्तर से सत्यापित सूची।
7.	क्या ग्राम पंचायत में 01 वर्ष आयु तक के बच्चों का शत्–प्रतिशत् टीकाकरण हुआ है ?	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 तक 01 अंक एवं 50 से कम पर शून्य अंक	आंगनबाडी एवं आशा का रजिस्टर एवं ए.एन.एम. से सत्यापित प्रमाण–पत्र।
8.	क्या ग्राम पंचायत में वर्ष 2021–22 में गर्भवती महिलाओं का शत–प्रतिशत टीकाकरण हुआ है।	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक 50 से 74 तक 01 अंक एवं 50 से कम पर शून्य अंक	आशा का रजिस्टर एवं ए.एन.एम. से सत्यापित प्रमाण–पत्र।
9.	वी.एच.एस.एन.डी. के लिए आवश्यक उपकरण (वेट मशीन, हीमोस्टिक, एम.यू.ए.सी. टेप, आई.एफ.ए. टैबलेट, हबकटर) तथा व्यवस्थाएं है अथवा नहीं?	2	4 उपकरण पर 2 अंक 2 उपकरण पर 1 अंक 2 से कम पर शून्य अंक	सम्बन्धित उपकरणों के फोटोग्राफ व रजिस्टर की छायाप्रति
10.	वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल प्रसव के सापेक्ष संस्थागत प्रसव	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक, 50 से 74 तक	आशा का रजिस्टर एवं ए.एन.एम. से सत्यापित

क्र0	सूचकों का विवरण	अधिकतम अंक	अंक प्राप्ति का निर्धारण	अंक से सम्बन्धित दस्तावेज
			01 अंक एवं 50 से कम पर शून्य अंक	प्रमाण-पत्र।
	थीम- 03 बाल मैत्री गाँव (10 अंक)			
11.	ग्राम पंचायत में 06 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं का नामांकन विद्यालयों में है ?	2	विद्यालय में सत्यापन के समय 0 ड्रापआउट पर 02 अंक, 01- 05 ड्रापआउट पर 01 अंक तथा 05 से अधिक ड्रापआउट पर शून्य अंक	सचिव से सत्यापित परिवार रजिस्टर, शिक्षक से सत्यापित विद्यालय पंजीकरण रजिस्टर।
12.	क्या ग्राम पंचायत में खेल का मैदान है?	2	हाँ की दशा में 02 अंक नहीं की दशा में 00 अंक	सम्बन्धित फोटो एवं विडियो।
13.	1098 हेल्पलाइन/बाल अधिकार चार्टर की पेंटिंग विद्यालय अथवा अन्य सार्वजनिक भवन पर है अथवा नही?	2	हाँ की दशा में 02 अंक नहीं की दशा में 00 अंक	फोटोग्राफ
14.	क्या वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत में बच्चों का शत्-प्रतिशत् सी.आर.एस. पोर्टल पर जन्म पंजीकरण हुआ है ?	2	75 से 100 प्रतिशत होने की दशा में 02 अंक, 50 से 74 तक 01 अंक एवं 50 से कम पर शून्य अंक	आशा/ए.एन.एम. के रजिस्टर की प्रति तथा सी.आर.एस. पोर्टल की रिपोर्ट की प्रति।
15.	आंगनबाड़ी केन्द्र में बाल मैत्री शौचालय निर्मित है अथवा नहीं?	2	हाँ की दशा में 02 अंक नहीं की दशा में 00 अंक	फोटोग्राफ
	थीम- 04 पर्याप्त जल युक्त गाँव (10 अंक)			
16.	पंचायत भवन/विद्यालय में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (RWH) है अथवा नहीं?	2	दोनों में RWH होने पर 02 अंक किसी 01 में RWH होने पर 01 अंक	फोटोग्राफ
17.	ग्राम पंचायत में स्थित तालाबों में गहरीकरण/डिसिल्टेशन किया गया है अथवा नहीं	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	फोटोग्राफ
18.	जल संरक्षण/पानी के उचित उपयोग सम्बन्धी आई.ई.सी./जागरूकता/गतिविधियां (वाल पेंटिंग/ग्राम सभा की बैठक/रैली/प्रतियोगिता आदि) की गयी है अथवा नहीं?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	आई.ई.सी. से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ
19.	ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के समीप सोख्ता गड्ढ़ों का निर्माण किया गया है अथवा नहीं?	2	10 से अधिक सोख्ता गड्ढ़ों के निर्माण पर 02 अंक 05-10 तक सोख्ता गड्ढ़ों के निर्माण पर 01 अंक, नही पर शून्य अंक	फोटोग्राफ
20.	ग्राम पंचायत के कुल जल निकायों (Water Bodies) के संरक्षण एवं साफ-सफाई हेतु किए गए प्रयास। (विशेषतः तालाबों को पालीथिन/प्लास्टिक मुक्त किया जाना।)	2	कुल के सापेक्ष 75 से 100 प्रतिशत कार्य होने की दशा में 02 अंक, 50 से 74 तक 01 अंक एवं 50 से कम पर शून्य अंक	ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर, फोटोग्राफ/विडियो
	थीम-5 स्वच्छ एवं हरित गाँव (10 अंक)			
21.	क्या ग्राम पंचायत खुले में शौचमुक्त है अथवा नहीं?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ
22.	ग्राम पंचायत ओ.डी.एफ. प्लस हेतु ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन किया गया है अथवा नहीं ?	2	ठोस एवं तरल दोनों के प्रबन्धन पर 02 अंक एवं किसी 1 के प्रबंधन पर 01 अंक	संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति
23.	सामुदायिक शौचालय संचालित है अथवा नहीं?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ

क्र0	सूचकों का विवरण।	अधिकतम अंक	अंक प्राप्ति का निर्धारण	अंक से सम्बन्धित दस्तावेज
24.	वर्ष 2021–22 में किये गये कुल वृक्षारोपण के सापेक्ष कितने प्रतिशत पौधे जीवित हैं?	2	75 से अधिक की दशा में 02 अंक, 50 से 75 प्रतिशत तक पर 1 एवं उससे कम पर शून्य अंक	संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ
25.	ग्राम पंचायत में कूड़ा/कचरा, जल–जमाव की स्थिति?	2	कूड़ा/कचरा नहीं पर 01 अंक एवं जल–जमाव नही पर 01 अंक तथा कूड़ा/कचरा व जल– जमाव नहीं पर 02 अंक	फोटोग्राफ
	थीम– 06 आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गाँव (10 अंक)			
26.	ग्राम सचिवालय समस्त उपकरणों के साथ संचालित हो रहा है अथवा नहीं?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ
27.	ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केन्द्र अलग से बना है अथवा नहीं?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ
28.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में कायाकल्प है अथवा नहीं?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ
29.	पार्क/ओपेन ज़िम का निर्माण किया गया है अथवा नहीं?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व फोटोग्राफ
30.	ग्राम पंचायत के मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट लगाये गये है अथवा नहीं?	2	50 से अधिक स्ट्रीटलाइट की स्थापना पर 02 अंक एवं 10 से 50 स्ट्रीटलाइट पर 01 अंक तथा 10 से कम स्ट्रीटलाइट पर शून्य अंक	संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति व फ़ोटोग्राफ
	थीम– 07 सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव (10 अंक)			
31.	प्रत्येक माह राशन का वितरण किया जा रहा है अथवा नहीं ?	2	वर्ष के 12 माहों में वितरित होने पर 02 अंक एवं नहीं होने पर शून्य अंक	कोटेदार एवं रजिस्टर की प्रति तथा वॉल पेन्टिंग द्वारा प्रदर्शित लाभार्थियों की सूची की फोटो।
32.	ग्राम पंचायत के सभी पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन (विधवा/वृद्धावस्था एवं दिव्यांग पेन्शन) मिल रही है अथवा नहीं?	2	सत्यापन के समय पात्र लाभर्थियों के सापेक्ष मात्र 2 लाभार्थी पेंशन विहीन पाये जाते हैं तो 2 अंक, 2 से 5 तक लाभार्थी पेंशन विहीन पाये जाते हैं तो 01 अंक एवं 5 से अधिक लाभार्थी पेंशन विहीन पाये जाते हैं तो शून्य अंक	पेंशन लाभार्थियों की सक्षम स्तर से प्रमाणित सूची व पासबुक की छायाप्रति
33.	ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कितने लाभार्थियों को लाभ प्राप्त है?	2	75 से अधिक की दशा में 02 अंक, 50 से 75 प्रतिशत को 1 अंक एवं उससे कम पर शून्य अंक	लाभार्थियों की सक्षम स्तर से प्रमाणित सूची व पासबुक की छायाप्रति
34.	ग्राम पंचायत में पारिवारिक योजना लाभ/आपदा राहत धनराशि के कितने लाभार्थियों को लाभ प्राप्त है?	2	05 या अधिक पर 02 अंक, 02 से 4 लाभार्थियों पर 01 अंक एवं 02 से कम पर शून्य अंक	लाभार्थियों की सक्षम स्तर से प्रमाणित सूची व पासबुक की छायाप्रति
35.	ग्राम पंचायत में विवाह अनुदान/सामूहिक विवाह योजना में कितने लाभार्थियों को लाभ प्राप्त है? लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या।	2	05 या अधिक पर 02 अंक, 02 से 4 लाभार्थियों पर 01 अंक एवं 02 से कम पर शून्य अंक	लाभार्थियों की सक्षम स्तर से प्रमाणित सूची व पासबुक की छायाप्रति

क्र0	सूचकों का विवरण	अधिकतम अंक	अंक प्राप्ति का निर्धारण	अंक से सम्बन्धित दस्तावेज
	थीम–8 सुशासन वाला गाँव (20 अंक)			
36.	क्या ग्राम पंचायत द्वारा गत वर्ष के सापेक्ष स्वयं के आय के स्रोतों में वृद्धि की गयी है?	2	5000 या अधिक की स्थिति में 02 अंक, 1000 से 4999 तक 01 अंक एवं 1000 से कम वृद्धि पर शून्य अंक	ग्रामनिधि अथवा कैशबुक में उक्त आय के जमा होने की प्रवृष्टि एवं ऑडिट रिपोर्ट में अंकन।
37.	क्या वर्ष में ग्राम सभा की नियमानुसार निर्धारित वार्षिक 02 बैठकों का आयोजन किया जाता है?	2	02 बैठक पर 01 अंक तथा 02 से अधिक बैठकों पर 02 अंक	ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति एवं फोटोग्राफ।
38.	क्या वर्ष में ग्राम पंचायत की नियमानुसार निर्धारित 12 मासिक बैठकों का आयोजन किया जाता है?	2	100 प्रतिशत पर 02 अंक, 75–99 प्रतिशत तक 01 अंक तथा 75 प्रतिशत से कम पर शून्य अंक	ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर की छायाप्रति एवं फोटोग्राफ।
39.	ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक कार्यरत है अथवा नहीं?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	उपस्थिति रजिस्टर की छायाप्रति व फोटोग्राफ
40.	क्या ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2020–21 के खाते का ससमय ऑडिट कराया गया है एवं 'ऑडिट ऑनलाइन' सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑडिट का कार्य किया गया है?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर एवं ऑडिट रिपोर्ट एवं कैशबुक।
41.	ग्राम पंचायत में निराश्रित गौवंश हेतु गौशाला का निर्माण किया गया है अथवा नहीं ?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	सत्यापन दल की रिपोर्ट व फोटोग्राफ
42.	वर्ष 2022–23 की कार्ययोजना/जी.पी.डी.पी. में निर्धारित 05 चरण (यथा वातावरण का सृजन, परिस्थिति का विश्लेषण, आवश्यकता/समस्याओं का चिन्हांकन एवं प्राथमिकीकरण, ड्राफ्टकार्ययोजना तैयार करना तथा अंतिम तैयार कार्ययोजना की ग्राम सभा में वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति) का पालन किया गया है।	2	सभी 5 चरणों के क्रियान्वयन पर 02 अंक एवं 03–04 चरणों पर 01 अंक तथा 03 से कम पर शून्य अंक	ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर, फोटोग्राफ एवं उक्त साक्ष्य पर ग्रामवासियों का बयान आदि।
43.	ग्राम पंचायत निधि में विभिन्न स्रोतों व योजनाओं से हो रहे आय–व्यय का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थल पर किया गया है अथवा नहीं?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	फोटोग्राफ
44.	आई.जी.आर.एस. अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में ग्राम पंचायत के समस्त शिकायत का निर्धारित पोर्टल (मुख्यमंत्री संदर्भ, ऑनलाइन संदर्भ आदि) का निस्तारण किया गया है, वर्तमान में कोई अवशेष नहीं है ?	2	अवशेष होने पर शून्य अंक एवं अवशेष नहीं होने पर 02 अंक	पोर्टल पर निस्तारण की प्रति
45.	ग्राम सचिवालय में जनसेवा केन्द्र का को–लोकेशन किया गया है अथवा नहीं ?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	फोटोग्राफ
	थीम– 09 महिला हितैषी गाँव (10 अंक)			
46.	क्या ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों में बालक–बालिकाओं का पृथक–पृथक शौचालय निर्मित किया गया है?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	फोटोग्राफ
47.	ग्राम पंचायत के विद्यालयों/सार्वजनिक भवनों में इन्सिनेटर/मासिक धर्म प्रबन्धन की व्यवस्था स्थापित है?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	फोटोग्राफ

क्र0	सूचकों का विवरण।	अधिकतम अंक	अंक प्राप्ति का निर्धारण	अंक से सम्बन्धित दस्तावेज
48.	क्या गर्भवती/धात्री महिलाओं और किशोरियों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन/पोषाहार का नियमित वितरण किया जा रहा है?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	आंगनबाड़ी का रजिस्टर।
49.	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष लाभान्वित लाभार्थियों की स्थिति।	2	75 से अधिक पर 02 अंक, 50–75 तक 01 अंक तथा 50 से कम पर शून्य अंक	संबंधित अभिलेख तथा फोटोग्राफ
50.	क्या ग्राम पंचायत में 1090, 102 एवं 112 हेल्पलाइन की आई.ई.सी. की गयी है?	2	हाँ पर 02 अंक एवं नहीं पर शून्य अंक	संबंधित अभिलेख तथा फोटोग्राफ

संलग्नक-3

आदर्श (MODAL) ग्राम पंचायतों का विवरण

Sl No	DISTRICT	BLOCK	GRAM PANCHAYAT NAME.	Details
1	AGRA	AKOLA	MALPURA	PG GP & ODF PLUS GP
2	AGRA	ETMADPUR	AHARAN	PG GP & ODF PLUS GP
3	ALIGARH	BIJOLI	DADO	PG GP & ODF PLUS GP
4	ALIGARH	BIJOLI	HARDOI	PG GP & ODF PLUS GP
5	ALIGARH	BIJOLI	SANKRAN	PG GP & ODF PLUS GP
6	AMBEDKAR NAGAR	Akbarpur	BEWANA	ODF PLUS GP
7	AMETHI	Bahadurpur	SARAI MAHESHA	ODF PLUS GP
8	AMROHA	Jaya	Didauli	ODF PLUS GP
9	AMROHA	Gajraula	kankather	ODF PLUS GP
10	AURAIYA	ERWA KATRA	RATHGAON	ODF PLUS GP
11	AYODHYA	SOHAWAL	PILKHAWAN	ODF PLUS GP
12	AYODHYA	MAWAI	SEDPUR	ODF PLUS GP
13	AZAMGARH	THEKMA	JAMUAWA	PG GP
14	BAGHPAT	Baraut	BAOLI	ODF PLUS GP
15	BAHRAICH	MAHASI	REHUVA MANSUR	ODF PLUS GP
16	BALLIA	RASRA	CHITOUNI	ODF PLUS GP
17	BALRAMPUR	TULSIPUR	JAINAGRA	ODF PLUS GP
18	BANDA	BADOKHAR KHURD	MAHOKHAR	ODF PLUS GP
19	BARABANKI	FATEHPUR	NANDNAKALA	PG GP
20	BAREILLY	BHOJIPURA	BILWA	PG GP
21	BAREILLY	BHOJIPURA	KHAJUA JAGIR	PG GP
22	BAREILLY	BHOJIPURA	MUDIA HAFIZ	PG GP
23	BASTI	BASTI SADAR	MAHSO KHAS	ODF PLUS GP
24	BASTI	SALTAUA GOPALPUR	AJGAIBA JANGAL	ODF PLUS GP
25	BIJNOR	Haldaur	Khari	ODF PLUS GP
26	BUDAUN	SALARPUR	BINAVAR	PG GP & ODF PLUS GP
27	BUDAUN	WAZIRGANJ	BANKOTA	ODF PLUS GP
28	BULANDSHAHR	GULAOTHI	MOUHANA	PG GP
29	BULANDSHAHR	SHIKANDRABAD	SHIKADRABAD DEHAT	PG GP
30	BULANDSHAHR	SIKANDRABAD	NIJAMPUR	PG GP
31	CHANDAULI	CHANDAULI	BABURI	ODF PLUS GP
32	CHITRAKOOT	KARWI	BANKAT	ODF PLUS GP
33	DEORIA	BAITALPUR	RANIHAVA	ODF PLUS GP
34	ETAH	MAREHRA	JINHAIRA	ODF PLUS GP
35	ETAWAH	BADPURA	SITORA	ODF PLUS GP
36	FARRUKHABAD	Barhpur	DHILAWAL	ODF PLUS GP
37	FATEHPUR	Bhitaura	Chhewka Husainganj	ODF PLUS GP
38	FIROZABAD	FIROZABAD	Alinagar Kenjra	ODF PLUS GP
39	GAUTAM BUDDHA NAGAR	Dadri	Kalonda	ODF PLUS GP
40	GHAZIABAD	Bhojpur	Sara	ODF PLUS GP
41	GHAZIABAD	Rajapur	Bhikkanpur	ODF PLUS GP
42	GHAZIPUR	VIRNO	Bogana	ODF PLUS GP
43	GONDA	TARABGANJ	DHODHEPUR	ODF PLUS GP
44	GORAKHPUR	BADHALGANJ	PARSIYA TIWARI	PG GP
45	GORAKHPUR	BANSGAON	KISHUNPUR URF BAGAHI	PG GP
46	GORAKHPUR	BELGHAT	KATYA	PG GP
47	GORAKHPUR	BELGHAT	NAKAUDI KHAS	PG GP
48	GORAKHPUR	BHATHAT	AURANGABAD	PG GP & ODF PLUS GP
49	GORAKHPUR	BHATHAT	JANGAL HARPUR	PG GP
50	GORAKHPUR	BRAHMPUR	BELWA	PG GP
51	GORAKHPUR	CHARGAWAN	PARMESHWARPUR	PG GP & ODF PLUS GP
52	GORAKHPUR	JANGAL KAUDIA	TURKWALIA	PG GP

Sl No	DISTRICT	BLOCK	GRAM PANCHAYAT NAME	Details
53	GORAKHPUR	Jangal KAUDIA Kauria	Kazipur	PG GP
54	GORAKHPUR	KAURI RAM	BANSPAR	PG GP
55	GORAKHPUR	KAURI RAM	BELIPAR	PG GP
56	GORAKHPUR	KAURI RAM	KAURIRAM	PG GP
57	GORAKHPUR	KHAJNI	BHAIUNSA URPH BANKATA	PG GP & ODF PLUS GP
58	GORAKHPUR	KHAJNI	JAIPALPUR	PG GP
59	GORAKHPUR	KHAJNI	SAKHADAR PANDEY	PG GP
60	GORAKHPUR	KHORABAR	CHHITAUNA	PG GP
61	GORAKHPUR	PALI	MAKARHAT	PG GP
62	GORAKHPUR	PALI	MUSTAFABAD	PG GP & ODF PLUS GP
63	GORAKHPUR	PALI	NEWAS	PG GP
64	GORAKHPUR	PALI	NARANG PATTI	PG GP
65	GORAKHPUR	PIPRAICH	RUDRAPUR	PG GP & ODF PLUS GP
66	GORAKHPUR	PIPRAULI	JANGL DEERGHAN SINGH	PG GP
67	GORAKHPUR	PIPRAULI	JANGL RANI SUHAS KUNWARI	PG GP & ODF PLUS GP
68	GORAKHPUR	PIPRAULI	SIYAR	PG GP
69	GORAKHPUR	PIPRAULI	BHAUWAPAR	PG GP & ODF PLUS GP
70	GORAKHPUR	SAHJANAWA	BHARSAR	PG GP & ODF PLUS GP
71	GORAKHPUR	SAHJANAWA	BHIMAPAR	PG GP
72	GORAKHPUR	SAHJANAWA	RAGHUNATHPUR	PG GP & ODF PLUS GP
73	GORAKHPUR	URUWA	MARCHA	PG GP
74	GORAKHPUR	URUWA	NARAYAN PUR	PG GP
75	GORAKHPUR	URUWA	SISWA URF SIUWA	PG GP
76	HAMIRPUR	MUSKARA	UMARI	ODF PLUS GP
77	HAPUR	HAPUR	UPEDA	ODF PLUS GP
78	HARDOI	Mallawan	Bansa	ODF PLUS GP
79	HATHRAS	SADABAD	BISAWAR	ODF PLUS GP
80	JALAUN	KUTHAUND	KUTHOND	ODF PLUS GP
81	JALAUN	NADIGAON	KHAKSIS	ODF PLUS GP
82	JAUNPUR	KHUTHAN	PILKICHHA	ODF PLUS GP
83	JHANSI	Babina	Raksa	ODF PLUS GP
84	JHANSI	Babina	Simrawari	ODF PLUS GP
85	KANNAUJ	Kannauj	Gagemau	ODF PLUS GP
86	KANPUR DEHAT	MALASA	BARAUR	ODF PLUS GP
87	KANPUR NAGAR	KALYANPUR	BINAUR	ODF PLUS GP
88	KANPUR NAGAR	SARSOL	SALEMPUR	ODF PLUS GP
89	KASGANJ	AMANPUR	KACHHELA SHERPUR	ODF PLUS GP
90	KAUSHAMBI	MANJHANPUR	TEWA	ODF PLUS GP
91	KHERI	BIJUWA	BHIRA	ODF PLUS GP
92	KUSHI NAGAR	SEORAHI	HATA	PG GP
93	KUSHI NAGAR	NEBUA NAURANGIA	NAURANGIA	ODF PLUS GP
94	LALITPUR	JAKHAURA	BANSI	ODF PLUS GP
95	LALITPUR	MEHRONI	SAUJANA	ODF PLUS GP
96	LUCKNOW	MOHANLALGANJ	NIGOHA	ODF PLUS GP
97	LUCKNOW	GOSAIGANJ	SALEMPUR	ODF PLUS GP
98	MAHARAJGANJ	FARENDA	CHITHAI BUJURG	PG GP
99	MAHARAJGANJ	MITHORA	KHOSTA	PG GP
100	MAHARAJGANJ	PARTAWAL	CHHAPIYA	PG GP
101	MAHARAJGANJ	PARTAWAL	KAMARIYA KHURD	PG GP
102	MAHARAJGANJ	PARTAWAL	PIRPARALALA	PG GP
103	MAHARAJGANJ	PARTAWAL	RAMPUR CHAKIYA	PG GP
104	MAHARAJGANJ	PARTAWAL	SEMRA CHANDAULI	PG GP
105	MAHARAJGANJ	PARTAWAL	TARKLUYA TIWARI	PG GP
106	MAHARAJGANJ	SISWA	HARAKHPURA	PG GP & ODF PLUS GP
107	MAHARAJGANJ	SISWA	HARPUR PAKADI	PG GP & ODF PLUS GP
108	MAHARAJGANJ	SISWA	LAXMI PUR EKDANGA	PG GP
109	MAHARAJGANJ	SISWA	RUDRAPUR	PG GP & ODF PLUS GP
110	MAHARAJGANJ	SISWA	SEMRI	PG GP & ODF PLUS GP

Sl No	DISTRICT	BLOCK	GRAM PANCHAYAT NAME	Details
111	MAHARAJGANJ	SISWA	SITLAPUR	PG GP
112	MAHOBA	JAITPUR	MUDHARI	ODF PLUS GP
113	MAHOBA	PANWARI	PANWARI	ODF PLUS GP
114	MAINPURI	MAINPURI	AUDEN PADARIYA	ODF PLUS GP
115	MATHURA	BALDEO	TATRAUTA BANGAR	PG GP
116	MATHURA	CHHATA	PAIGAON	PG GP & ODF PLUS GP
117	MATHURA	GOVARDHAN	ADING	PG GP & ODF PLUS GP
118	MATHURA	MAT	NAGLA HIMAUN DEH	PG GP
119	MATHURA	MATHURA	TOS	PG GP
120	MAU	RANIPUR	KHANPUR	ODF PLUS GP
121	MEERUT	DAURALA	BADHKALI NEKPUR	PG GP
122	MEERUT	HASTINAPUR	SAIFPUR FIROJPUR	ODF PLUS GP
123	MIRZAPUR	CHHANVEY	NAROIYA	ODF PLUS GP
124	MORADABAD	DILARI	KUMRIA JIBLA	ODF PLUS GP
125	MUZAFFARNAGAR	BUDHANA	FUGANA	ODF PLUS GP
126	PILIBHIT	BARKHERA	KHAMARIA PANDRI	ODF PLUS GP
127	PRATAPGARH	BIHAR	SHAKERDAHA	ODF PLUS GP
128	PRAYAGRAJ	MAUAIMA	MAU AIMA	ODF PLUS GP
129	RAE BARELI	DALMAU	AIHAR	ODF PLUS GP
130	RAMPUR	SHAHABAD	PATWAI	ODF PLUS GP
131	SAHARANPUR	RAMPUR MANIHARAN	CHACKWALI	ODF PLUS GP
132	SAMBHAL	SAMBHAL	RUKNUDDIN SARAI	ODF PLUS GP
133	SAMBHAL	BANIYAKHERA	MAULAGARH	ODF PLUS GP
134	SANT KABEER NAGAR	MEHDAWAL	BARHYA	ODF PLUS GP
135	SANT RAVIDAS NAGAR	BHADOHI	PIPRIS	ODF PLUS GP
136	SANT RAVIDAS NAGAR	GYANPUR	NATHAIPUR	ODF PLUS GP
137	SHAHJAHANPUR	BHAWAL KHERA	BALLIA	ODF PLUS GP
138	SHAMLI	KANDHLA	TAHARPUR BHABISA	ODF PLUS GP
139	SHRAVASTI	EKAUNA	KATRA	ODF PLUS GP
140	SHRAVASTI	HARIHAR PUR RANI	CHAHLWA	ODF PLUS GP
141	SIDDHARTH NAGAR	NAUGARH	BIRDPUR NO.14	ODF PLUS GP
142	SIDDHARTH NAGAR	BIRDPUR	BIRDPURNO.1	ODF PLUS GP
143	SITAPUR	MISRIKH	KUTUB NAGAR	ODF PLUS GP
144	SITAPUR	GONDLAMAU	KORAUNA	ODF PLUS GP
145	SONBHADRA	KARMA	MADHUPUR	ODF PLUS GP
146	SONBHADRA	ROBERTSGANJ	SALKHAN	ODF PLUS GP
147	SULTANPUR	MOTIGARPUR	DIERA	ODF PLUS GP
148	UNNAO	SIKANDARPUR KARAN	MAGARWARA	ODF PLUS GP
149	VARANASI	SEVAPURI	HATHI	ODF PLUS GP
150	VARANASI	ARAJILANE	GAUR	ODF PLUS GP